No-A33020/01/2011-Admn.I
Government of India
Ministry of Information and Broadcasting
Shastri Bhawan, New Delhi-110001

ATTENTION: Pre 2006 Pensioners/Family Pensioners of Ministry of Information and Broadcasting and media units thereunder-reg.

Pension/family pension of pre-2006 Pensioners/Family Pensioners has already been revised and arrears have been paid in 2008 and 2009 as per the recommendations of the 6th Central Pay Commission. It is noticed that in some cases, fresh pension papers indicating revised amount of pension/family pension have not reached the pensioner/family pensioner so far, despite the efforts being made by the authorities concerned in the Government.

2. Attention is invited that it is in their interest that such pensioners/ family pensioners get the revised pension papers issued as the revised papers will ensure that a) there is no error in the pension revised by the Bank .b) they get the additional pension /family pension on attaining the age of 80/85/90/95/100 years of age on time. c) whenever pension is revised again in future, they do not face any problem in calculating the revised amount and d) after the death of the pensioner, the eligible family pensioner including unmarried/ divorced/widowed daughters, if any, in their family start getting family pension without any delay or harassment. In order to facilitate the above, such pre-2006 pensioners/family pensioners who have not got their revised pension papers (PPO) issued are requested to provide the following information to the concerned Head of Office (i.e. the office under the ministry/department from where the government servant retired) as soon as possible.

(In case a pensioner/family pensioner is not aware of the above; it may be sent to Sr. Accounts officer. Special Cell, CPAO, Trikoot-II, R.K. Puram, New Delhi.)

Subject: - Revision of pension papers (PPO) for pre-2006 Pensioners/Family Pensioner

1	Name of the Pensioner	--
2	Date of Birth	--
3	Date of retirement	--
4	Date of Death of the pensioner (if application is by family pensioner	--
5	Scale of pay at the time of retirement/death	--
6	PPO Number	--
7	Present Address (With Pin Code)	--
8	Phone Number & E-Mail ID of Pensioner/Family Pensioner	--
9	Name of the Bank & Branch	--
10	Postal Address of Branch (With Pin Code)	--

(323)

11. Accounts Number : ....

12. Details of office where the employee/pensioner
Last served

13. Details of spouse who is co-authorised in PPO or any other family pensioner (A copy of relevant page of PPO as a proof of date of Birth must be enclosed. Otherwise, please see Note below)

(a) Name of Spouse/family pensioner :

(b) Date of Birth (Proof to be enclosed) :

(c) Name of documents enclosed as proof :

14. Name and date of birth of other family members, not provided already and if the pensioner/spouse wants to provide to the HOO/HOD may also be added below)

Date:................

Place:...............

(Signature of Pensioner/family pensioner)

Note: IN case copy of PPO is not available or date of birth of the spouse or any other family pensioner is not given therein, attested photocopy of any one of the following documents in support of date of birth of the spouse/eligible family member may be submitted :

a. PAN card
b. Matriculation certificate (containing the information regarding Date of Birth).
c. Passport
d. CGHS Card
e. Driving License (if it contain Date of Birth)
f. Voter's ID Card/Aadhar Number may also be accepted as proof of Date of Birth subject to condition that the pensioner/family pensioner certifies that he/she is not a matriculate and he/she does not have any of the documents mentioned from (a) to (e) above.

(S.B. Pandey)
Under Secretary (Admn)

326

संख्या ए–33020/01/2011–प्रशासन–1
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

ध्यानार्कषणः– सूचना और प्रसारण मंत्रालय/अधीन विभागो के पूर्व 2006 पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोंगी

2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों की पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पहले से ही संशोधित की जा चुकी है तथा छठें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशांसाओं के अनुसार 2008 एवं 2009 में बकाया अदा किया जा चुका है। यह नोटिस किया गया है कि कुछ मामलों में सरकार में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बावजूद भी पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की संशोधित राशि को इंगित करने वाले नवीन पेंशन कागजात अभी तक नही मिले है।

2. ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यह उनके हित में है कि ऐसे पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी,संशोधित जारी किए गए पेंशन कागजात प्राप्त करें, क्योकि संशोधित कागजात **सुनिश्चित** करेगें कि (क) बैंक द्वारा संशोधित पेंशन में कोई गलती नही है, (ख) वे 80/85/90/95/100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन/कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेंगें, (ग) जब भी भविष्य में पेंशन पुनः संशोधित होती है, संशोधित राशि का परिकलन करने में उन्हें कोई समस्या न हो, (घ) पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात् अविविहित/तलाकशुदा/विध्वा पुत्रियों सहित यदि कोई हो, तो पात्र कुटुम्ब पेंशनभोगी, को बिना किसी विलम्ब या उत्पीड़न के कुटुम्ब पेंशन मिलें। उक्त को सुविधाजनक बनाने के लिए, ऐसे 2006 से पूर्व के पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी, जिन्होने अपने जारी संशोधित पेंशन कागजात (पी पी ओ) प्राप्त नही किए है वह व्यक्ति अपने मुख्य कार्यालय अधिकारी **(अर्थात मंत्रालय के अधीन कार्यालय जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये थे)**को यथाशीध्र निम्नलिखित सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

(यदि एक पेंशन भोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को उर्पयुक्त का पता न हो तो, इसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी, विशेप कक्ष, सी.पी.ए.ओ., त्रिकुट–11 आर.के.पुरम, नई दिल्ली को भेजा जा सकता है)।

विपयः–2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगियों को पेंशन कागजात पी.पी.ओ. का संशोधन।

1. पेंशनभोगी का नाम ....
2. जन्मतिथि ....
3. सेवानिवृति की तारीख ....
4. पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख ....

(यदि आवेदन कुटुम्ब पेंशनभोगी द्वारा किया गया हो)

325

5 सेवानिवृत/मृत्यु के समय वेतनमान ....

6 पी.पी.ओ. संख्या ....

7 वर्तमान पता (पिन कोड़ सहित) ....

8 पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी का फोन नंबर एवं ई–मेल आई ड़ी ....

9 बैंक एवं शाखा का नाम ....

10 शाखा का ड़ाक पता (पिन कोड़ सहित) ....

11 एकाउंट नंबर ....

12 उस कार्यालय का ब्यौरा जहां कर्मचारी/पेंशनभोगी ने सबसे अन्त में कार्य किया है ....

13 जीवन साथी या अन्य किसी कुटुम्ब पेंशनभोगी का नाम, जो पी.पी.ओ. में सहभागी है (जन्मतिथि के साक्षय के लिए पी.पी.ओ. के संगत पृष्ठ संलग्न की जानी चाहिए, अन्यथा कृपया नीचे टिप्पणी देखें)

क जीवन साथी कुटुम्ब पेंशनभोगी का नाम ....

ख जन्मतिथि (सबूत संलग्न किया जाए) ....

ग सबूत के लिए संलग्न दस्तावेंजो का नाम ....

14 पहले से न दिए गए कुटुम्ब सदस्यों का नाम एवं जन्मतिथि यदि पेंशनभोगी जीवनसाथी उन्हें कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रदान करना चाहता है उन्हें नीचे दिया जा सकता है

दिनांकः...............................

स्थानः.................................

(पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्ताक्षर)

टिप्पणीः– **यदि पी.पी.ओ. की प्रति उपलब्ध न हो या जीवन साथी या कुटुम्ब पेंशनभोगी की जन्मतिथि नही की गई हो**, जीवन साथी/पात्र कुटुम्ब सदस्य की जन्मतिथि के सहयोग में निम्नलिखित में से किसी दस्तावेज की अनुप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है:

(क) पैन कार्ड़ ....

(ख) मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतिथि की सूचना के संबंध में) ....

(ग) पासपोर्ट ....

(ध) सी.जी.एच.एस.कार्ड़ ....

(ड़) डाईविंग लाईसेंस (यदि इसमें जन्मतिथि हो) ....

(च) वोटर कार्ड़/आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है कि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नही है तथा उसके पास उर्पयुक्त (क) से (ड) का कोई दस्तावेज नही है।

(श्री भगवान पाण्डेय)
अवर सचिव (प्रशासन)